तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 193/2014** **सीआईएस संख्या 69/2015** **उमी देवी बनाम भंवरी देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादीया द्वारा कोस्ट की राशि की जमा रसीद पेश करने बाबत समय चाहा। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरा भूमि के सम्बंध में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामांतरण बाबत वादीया द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी थी, जिस अपील के दस्तावेजात एवं आदेशिका तथा नामांतरण की जमाबंदी प्रकरण में सुसंगत दस्तावेजात है, जिनको रिकॉर्ड पर लिया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादीया की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि उक्त दस्तावेजात वर्ष 2014 से ही प्रतिवादीगण के पास थे, तथापि उनके द्वारा पेश नहीं किये गये है तथा उक्त दस्तावेजात मूल तथा प्रमाणित प्रति नहीं है, अतः किसी प्रकार सुसंगत नहीं है। केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली, संबंधित विधिक प्रावधान एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 8 नियम 1 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय केवल मात्र दस्तावेज की सुसंगता को देखना होता है, ना कि ग्राह्यता को। जहां तक प्रस्तावित दस्तावेजात का प्रश्न है, उक्त दस्तावेजात विवादित खसरा नम्बरान के सम्बंध में वादीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील होना दर्शित है, साथ ही जमाबंदी की प्रति है, जो प्रकरण में स्पष्टतः सुसंगत प्रतीत होते हैं। प्रकरण में अभी साक्ष्य वादीया लेखबद्ध होनी है, जिसमें उक्त दस्तावेजात के खण्डन का पर्याप्त अवसर वादीया को प्राप्त होगा, लेकिन दस्तावेजात के अवलोकन से दर्शित है कि दस्तावेजात पूर्व से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में है, जो कि देरीना पेश किये गये है, लेकिन देरी की पूर्ति कोस्ट अधिरोपित कर की जा सकती है। अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दो हजार रूपये की कोस्ट पर	

	स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट की राशि लिटिगेशन वेलफेयर फण्ड में जमा करवाकर प्रतिवादीगण नियमानुसार रसीद न्यायालय में पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादीया हेतु नियत की जाती है। जिस हेतु समय चाहा। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है, अतः आदेश दिया जाता है कि आईन्दा आवश्यक रूप से गवाह पेश करे व प्रतिवादीगण आवश्यक रूप से जिरह करे। और अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली साक्ष्य वादीया हेतु दिनांक 18.11.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	